राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ( )/चि. व स्वा./आरोग्य राजस्थान/2015/ ५० दिनांक : 3/12/15

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान

विषय : आपके जिले में दिनांक 09.12.15 को ग्रामपंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली ग्राम सभा में आरोग्य राजस्थान अभियान व भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी देने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आरोग्य राजस्थान योजना एवं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। आपके जिलें में दिनांक 09.12.15 को ग्रामपंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली ग्राम सभा में संबंधित आशा एवं एएनएम अनिवार्यतः उपस्थित होकर उक्त दोनो योजनाओं की जानकारी से ग्राम सभा के समस्त सदस्यों को अवगत करवायेंगी ।

ग्राम सभा में योजनाओं के बारे में निम्न जानकारी आवश्यक रूप से दिया जाना सुनिश्चित करें :-

आरोग्य राजस्थान योजना :-

1. आशा द्वारा भरे गये परिवार प्रपत्रों की जानकारी एवं गांव में ग्रसित बीमार व्यक्तियों की सूचना।
2. ग्राम पंचायत पर लगने वाले स्वास्थ्य कैम्प की दिनांक व स्थान से अवगत करवायेंगी।
3. ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगने वाले स्वास्थ्य कैम्प में बीमार व्यक्तियों की जॉच के संबंध में पूर्ण जानकारी।
4. स्वास्थ्य कैम्प में जॉच पश्चात् ग्रसित बीमारियों के इलाज की उच्च चिकित्सा संस्थानों व योजना के तहत चिन्हित निजी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क इलाज के संबंध में जानकारी

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना :-

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी होगें।
2. लाभार्थीयों को समस्त सुविधाऐं कैशलेस होगी।
3. प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों हेतु रू 30 हजार तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों हेतु रू 3.00 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा होगी।
4. योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को स्वास्थ्य सुविधाऐं राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा समस्त उच्च राजकीय चिकित्सा संस्थानों तथा सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।
5. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने हेतु सभी लाभार्थी भामाशाह कार्ड अथवा राशन कार्ड या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड अवश्य लेकर आऐं।

(डॉ. नीरज के. पवन)
अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम)
निदेशक (आई. ई. सी.) एवं
संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. ।
4. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, चि., स्वा. एवं प. क. एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)।
5. निदेशक (जन स्वा.) ।
6. निदेशक आरसीएच. ।
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. स्टेट नोडल अधिकारी, आरोग्य राजस्थान, मुख्यालय जयपुर।
9. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जिला कार्यक्रम प्रबंधक/ जिला आशा कोर्डिनेटर/
10. सर्वर रूम।

अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम)
निदेशक (आई. ई. सी.) एवं
संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य